(ग) क्या यह भी सच है कि "गैट" समझौते के अनुसार चमड़े तथा बिना सिले कपड़ों और सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात के संबंध में अमरीका तथा यूरोपीय देशों द्वारा भारत पर अधिरोपित वर्तमान कोटा प्रणाली अगले दस वर्षों तक जारी रहेगी ; और

(घ) यदि हां, तो "गैट" समझौते से इन दोनों उद्योगों को क्या-क्या नए लाभ प्राप्त होंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) वस्त्र और पोशाकों की तरह और चमड़े के उत्पाद कोटा प्रतिबंधों के अधीन नहीं है । वस्त्र और पोशाकों के बारे में उरुग्वे दौर के समझौते में बहुरेशा व्यवस्था को चरणबद्ध रूप में खत्म करने की तथा 10 वर्षों की संक्रमणकालीन अवधि की समाप्ति पर वस्त्र क्षेत्र को बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में एकीकृत करने की व्यवस्था है । चरणबद्ध रूप में समाप्त करने की अवधि को 3 वर्षों, 4 वर्षों और 3 वर्षों की तीन अवस्थाओं में विभाजित किया गया है । प्रत्येक अवस्था की शुरूआत में, वस्त्र और पोशाक मदों का एक निर्दिष्ट प्रतिशत बहुपक्षीय ढांचे में एकीकृत हो जाएगा ।

उरुग्वे दौर के समझौते के परिणामस्वरूप, टैरिफ में कमी तथा बहुरेशा व्यवस्था के चरणबद्ध रूप में समाप्त होने से भारतीय वस्तुओं के लिए बढ़ी हुई बाजार पहुंच सुविधाएं मिलेंगी । इन दोनों क्षेत्रों को प्राप्त होने वाले सुनिश्चित लाभ इस बात पर निर्भर करेंगे कि उरुग्वे दौर से उत्पन्न अवसरों का कितना लाभ उठाया गया है ।

"गैट" समझौते में कृषि से संबंधित प्रावधान

6303. **श्री अनन्त राम जायसवाल:**
श्रीमती सरला माहेश्वरी :
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "गैट" समझौते के अनुसार कृषि से संबंधित प्रावधान क्या-क्या हैं;

(ख) क्या कृषि उत्पादों के अनिवार्य आयात से छूट प्राप्त करते समय भुगतान संतुलन के संकट को ध्यान में रखा जायेगा ;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष "गैट" समझौते के अनुसार भुगतान संतुलन के संकट का प्रमाण पत्र पर उसका सत्यापन करने के पश्चात जारी करेगा;

(घ) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा के संकट पर काबू पा लने के संबंध में सरकार द्वारा की जा रही लगातार घोषणाओं को देखते हुये इस छूट की संभावना क्षीण हो गयी है;

(ङ) क्या सरकार ने इस बात का कोई हिसाब लगाया है कि अनिवार्य आयात के कारण पहले 10 वर्षों तक उसके पश्चात बाद के वर्षों में कृषि उत्पादों के आयात की मात्रा क्या होगी तथा वर्तमान विश्व बाजार भाव के अनुसार उन आयातों का मूल्य क्या होगा ;

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) कृषि से संबंधित करार का प्रमुख बल इस बात पर है कि व्यापार को विकृत करने वाली आर्थिक सहायताओं को कम किया जाये तथा टैरिफ और गैर-टैरिफ अवरोधों को कम करके व्यापार को उदारीकृत किया जाये ।

(ख)से (च) भारत पर न्यूनतम बाजार पहुंच संबंधी अवसर देने का कोई दायित्व नहीं है । ऐसा इसलिये है क्योंकि गैर-टैरिफ उपायों को टैरिफ में परिवर्तित करने तथा उसके तदनुसार न्यूनतम बाजार-पहुंच देने की अपेक्षा उन देशों पर लागू नहीं होती जो इन प्रतिबंधों को अपने भुगतान शेष के कारणों के अथवा "गैट" के अन्य कृषि-स्तर निश्चित प्रावधानों के अन्तर्गत बनाये रखते हैं । तदनुसार, भारत ने वचनबद्धताओं की सूची में कृषि में किसी भी प्रकार के न्यूनतम बाजार-पहुंच अवसर देने की बात नहीं रखी है । जहां तक टैरिफों का संबंध है, भारत ने यह बता दिया है कि ये बहुत ऊंचे हो सकते हैं अर्थात प्रायमिक उत्पादों के लिये 100% प्रसंस्कृत उत्पादों के लिये 150% तथा खाद्य तेलों के लिये 300% तक हो सकते हैं ।

गैट में हमारे व्यापारिक सहभागियों ने भारत की अनुसूचियों की जांच करके उन्हें स्वीकार कर लिया है और इनकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

Advantages to Indian Farmers from GATT

6304. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have worked out details of advantages that the GATT would provide to Indian farmers for farm development;

(b) whether any estimate has been made for export of farm products and agriculture produce from the country; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) to (c) The Uruguay Round results will establish an open, rule based multilateral trading system in which nations can trade in an environment of stability and predictability. They will also create opportunities for India's agricultural exports as many countries will be obliged to reduce their subsidies and establish minimum market access opportunities. The schedules embodying the Uruguay Round concessions were authenticated at Marakesh on 15th April, 1994. These will be got analysed to identify market access opportunities for India.

Effect of Dunkel draft on Prices of Drugs

6305. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that with the signing of the Dunkel Draft of GATT Agreement, the prices of drugs, particularly-patented drugs are likely to increase manifold;

(b) if so, its likely effect on the implementaion of the National Health Programmes of Health for all by the end of the century schemewise; and

(c) what is the share of patented drugs in the drugs required for various national health schemes like Anti-Malaria scheme, Leprosy eradication scheme; Universal immunisation scheme, AIDS control programme and others;

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) to (c) Medicines covered by new product patents granted after the coming into force of the new World Trade Organisation Agreement could have higher prices than those not covered by such patents because of the exclusive rights granted under the patent, system. It is however not possible to quantify precisely the extent of price rise that may result from the introduction of products patents because this would depend on various factors like availability of alternative non-patented medicines, the nature and extent of the demand for the medicines, price control measures, etc. The drugs used under the National Health Programmes are not covered by any existing patents.